उत्तराखण्ड शासन

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

2021-2022

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्राक्कथन

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सेवायें सरलता पूर्वक उपलब्ध कराने, विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का सफल उपयोग सुनिश्चित करने तथा समाज के विभिन्न अवयवों को उनकी आवश्यकता अनुसार सूचना सुलभ कराने के लिए उच्चस्तरीय निर्णय के अन्तर्गत शासन स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का गठन उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के उपरान्त किया गया है। वर्ष 2002–03 के उपरान्त प्रत्येक वर्ष विभागीय वार्षिक योजना तैयार की जाती रही है। इस प्रकार विगत अट्ठारह वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं को राज्य में सफलता पूर्वक लागू किया है।

राज्य में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रोनिक के क्षेत्र में निवेश के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 लागू की गयी है एवं राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक संचार के सुदृढ़ीकरण हेतु Right of Way 2018/दिशानिर्देश जारी की गयी है, इस नीति में राज्य में संचार व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने के उद्देश्य से ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टॉवर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से (Cyber Crisis Managerment Plan (CCMP), एवं साईबर सिक्योरिटी नीति तथा सी.आई.आई. (Critical Information Infrastructure (CII) नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शीघ्र ही उत्तराखण्ड सरकार की Cyber Security Policy जारी की जा रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार क्षेत्र में विभिन्न अवस्थापना परियोजनायें यथा राज्यव्यापी नेटवर्क (स्वान) तथा स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना कर संचालन किया जा रहा है तथा नागरिकों को ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत विभिन्न सेवायें सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर तक प्रदान की जा रही है। 'अपणी सरकार' के माध्यम से समस्त विभागों की नागरिक केन्द्रित सेवायें डिजिटल माध्यम से प्रदान किये जाने की कार्यवाही आरम्भ हो चुकी है। राजकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में ई–ओफिस का क्रियान्वयन कर समस्त कार्यालय कार्यों को डिजिटल माध्यम से सम्पादन किये जानी की कार्यवाही की जा रही है, वर्तमान में सचिवालय तथा कतिपय कार्यालयों में ई–ओफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है।

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य उद्देश्य– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1
2.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अवयव	3
3.	अध्याय 1 : नीतियां / दिशानिर्देश	7
4.	अध्याय 2 : सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना	9
5.	अध्याय 3 : सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें एवं सुशासन	15
6.	अध्याय 4 : क्षमता विकास एवं अनुसंधान कार्य	24
7.	अध्याय 5 : वित्तीय वर्ष 2020–21 वित्तीय प्रगति एवं 2021–22 बजट प्राविधान	31
8.	आउटकम 2021–22 एवं परफोरमेंस बजट 2020–21	33

मुख्य उद्देश्य– सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने मूलतः निम्न मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया हैः–

1. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग एवं क्रियान्वयन का प्रयास करना, जिससे कि विभागीय कार्यप्रणाली में वॉछित सुधार किया जा सके।

2. राष्ट्रीय ई–शासन प्लान (NeGP) का राज्य में क्रियान्वयन एवं उसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं का राज्य के अनुरूप विकास एवं संचालन करने की दिशा में प्रयास।

3. राज्य के जिन विभागों द्वारा नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवायें उपलब्ध करायी जाती है, का कम्प्यूटरीकरण करना, जिससे नागरिकों को सरलतापूर्वक सुविधायें/ सेवायें प्राप्त हो सके।

4. विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सुव्यवस्थित एकत्रीकरण एवं भण्डारण जिससे उन्हें विभिन्न उपयोगकर्ता–समूहों को उपलब्ध कराया जा सके।

5. राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार करना, जिससे कि विभिन्न सामाजिक समूह उसका लाभ उठा सके, और राज्य सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थान प्राप्त कर सके।

6. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी विभिन्न कार्यशालायें/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कराना, जिससे राज्य के युवा–वर्ग को स्वरोजगार उपलब्ध हो सके।

7. सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अग्रणी विश्वस्तरीय कम्पनियों एवं संस्थाओं को राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने हेतु आकर्षित करना।

8. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतर नागरिक सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में लाभ तथा रोजगार उपलब्ध कराये जाने का प्रयास।

9. ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत शासकीय कार्यों में त्वरित कार्यवाही, पारदर्शिता, कार्यक्षमता एवं दक्षता में सुधार, स्वविवेक तथा पूर्वाग्रह से मुक्त कार्यप्रणाली तैयार करना।

10. ई–शासन के प्रति राजकीय कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों में जागरूकता बढ़ाना।

11. राज्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपदा प्रबन्धन हेतु प्लान का विकास करना व साईबर क्षेत्र में साईबर सुरक्षा आदि पर कार्यवाही।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अवयव

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का ढांचा शासन स्तर पर सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी), द्वारा विभाग का मार्गदर्शन किया जा रहा है। प्रमुख सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) को सहयोगी सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग कार्यरत है।

सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी

क्षेत्र स्तर पर मुख्य रूप से विभाग में वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के रूप में एक संस्था गठित है, जो वर्ष 2004–05 में परियोजना प्रबन्धन इकाई, ई–गवर्नेन्स के रूप में गठित की गई थी। यह संस्था सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेन्स परियोजना हेतु राज्य की नोडल संस्था नामित है, जिसका गठन निम्नानुसार किया गया है –

क्र. सं.	पदनाम	सृजित पद
1.	निदेशक	1
2.	प्रोजेक्ट को–ओर्डिनेटर (वित्त / प्रशासन / प्रोक्योरमेंट)	1
3.	प्रोजेक्ट को–ओर्डिनेटर (तकनीकी)	1
4.	प्रबन्धक लेखा	1
5.	टास्कफोर्स मैनेजर	6
6.	प्रोक्योरमेंट मैनेजर	1
7.	वैयक्तिक सहायक	1
8.	स्टेनोग्राफर	1
9.	कन्सलटेंट (ऑडिट एण्ड एकाउण्ट्स)	1
10.	डेटा इन्ट्री ऑपरेटर	8
11.	रनर	4
12.	गार्ड	4

उक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विषय विशेषज्ञों को रखे जाने का भी प्राविधान है।

उपरोक्त के अतिरिक्त स्वान, स्टेट डाटा सेंटर तथा ड्रोन परियोजनाओं के संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल गठित हैं, जिसमें आवश्यकतानुसार तकनीकी मानव संसाधन आउटसोर्स किये गये है।

1. स्टेट डाटा सेंटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल–

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	परियोजना प्रबन्धक	01
2.	डी0बी0ए0	01
3.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	01
4.	डाट नेट एण्ड वेब डेवलपमेंट एक्सपर्ट	01
5.	वीएम लीड	01
6.	हैल्प डेस्क एवं इन्सीडेंट मैनेजमेंट डेस्क	04

2. ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेण्टर –

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	प्रोजेक्ट गाइड– निदेशक आई0टी0डी0ए0	
2.	प्रोजेक्ट कोर्डीनेटर– विभागीय राजकीय अधिकारी	
3.	प्रोजेक्ट एडवाईजर / सुपरवाईजर	01
4.	इमेज प्रोसेस– ड्रोन फैक्लटी	01
5.	पायलट एण्ड सिमुलेटर प्रशिक्षण – ड्रोन फैक्लटी	01
6.	प्रोजेक्ट असिसटेंट	01
7.	नेटवर्क इंजीनियर	01
8.	इलेक्ट्रीकल इंजीनियर	01

3. क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) संचालन हेतु फैसिलिटी मैनेजरमेंट सेवायें–

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	परियोजना प्रबन्धक	01
2.	सीनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	01
3.	नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर	02
4.	सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर	01
5.	सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर	01
6.	हैल्प डेस्क	02
7.	सीनियर नेटवर्क फील्ड ओपरेटर	35
8.	नेटवर्क फील्ड ओपरेटर	174
9.	अनुसेवक	02

उपरोक्त मानव संसाधन स्वान के संचालन हेतु राज्य मुख्यालय, जनपद मुख्यालय एवं ब्लोक/तहसील मुख्यालयों में स्थापित स्वान केन्द्रों में तैनात किये गये हैं।

4. सी0एम0 हैल्प लाईन–

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	प्रबन्धक	1
2.	सिस्टम एनेलिस्ट	1
3.	सॉफ्टवेयर डेवलपर	3
4.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	2
5.	मल्टीपरपज वर्कर	1

उपरोक्त के अतिरिक्त सी0एम0 हैल्पलाईन कोलसेंटर का संचालन कार्य भारत संचार निगम के माध्यम से आउटसोर्स है, जिसमें वर्तमान में 40 कोल एजेण्ट, 02 टीम लीडर तैनात किये गये हैं।

5. ई–डिस्ट्रिक्ट

(क) ई–मिशन टीम

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	परियोजना प्रबन्धक	01
2.	डीबीए/ टक्निकल लीडर/ सोल्यूशन आर्कीटेक्चर	01
3.	बिजीनेस एनालिस्ट	05
4.	डेवलपर	01
5.	हैल्प डेस्क सुपरवाईजर	01
6.	हैल्प डेस्क ओपरेटर	02

(क) प्रोजेक्ट डेवलपमेंट टीम

क्र. सं.	पदनाम	संख्या
1.	टेक्निकल लीडर	02
2.	डीबीए	01
3.	सीनियर डेवलपर	04
4.	डेवलपर	04
5.	मोबाईल एप्लीकेशन डेवलपर	02
6.	डोक्यूमेंट राइटर	02

ई–डिस्ट्रिक्ट के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाईटीज गठित हैं, एवं उसके अन्तर्गत एक–एक ई–डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आबद्ध किये गये हैं।

अध्याय 1

नीतियां / दिशानिर्देश

सूचना प्रौद्योगिकी नीति, 2018

राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य को पूर्ण रूप से डिजिटलीकृत तथा नेटवर्क आधारित समाज की परिकल्पना को पूर्ण करने, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को प्रोत्साहित कर इलनेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजायन तथा विर्निमाण उद्योग में निवेश को आकर्षित कर राज्य के युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2018 जारी की गयी है।

Uttarakhand Right of Way 2018

राज्य के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गत वर्ष प्रथम Right of Way 2018 नीति जारी की गयी। इस नीति में राज्य में संचार हेतु ऑप्टिकल फाईबर बिछाये जाने, मोबाईल टावर स्थापित किये जाने की प्रक्रिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

Cyber Crisis Managerment Plan (CCMP) -

Cyber Security Policy & Critical Information Infrastructure (CII) Policy

राज्य के आई0टी0 (Information Technology) अवस्थापना के साईबर सुरक्षा हेतु तथा साथ ही राज्य के नागरिकों को साईबर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से (Cyber Crisis Managerment Plan (CCMP), एवं साईबर सिक्योरिटी नीति तथा सी.आई.आई. (Critical Information Infrastructure

(CII) नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में Sectoral Cert एवं सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी की अध्यक्षता में Cert-UTK समिति गठित की गयी है। उक्त प्लान एवं नीतियों को उत्तराखण्ड कैबिनेट द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के तहत उत्तराखण्ड सरकार के सूचना एवं पुलिस विभाग के Infrastructure को Protective System घोषित किये जाने की प्रक्रिया प्रगति पर है। उत्तराखण्ड सरकार की Cyber Security Policy तैयार करने का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। वर्तमान में 13 विभागों से Chief Information Security Officer (CISO) का नामांकन प्राप्त हो चुका है तथा अन्य विभागों से अपेक्षित है।

अध्याय 2

सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना

भारत सरकार की राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना विकसित किये जाने हेतु विभिन्न परियोजनायें यथा– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान), स्टेट डाटा सेंटर, कोमन सर्विस सेंटर इत्यादि क्रियान्वित की गयी, जिनका संचालन वर्तमान में किया जा रहा है।

एन0ई0जी0पी0 के अन्तर्गत यह प्रस्तावित है कि राज्यों के लिए राज्य डाटा केन्द्रों की शुरूआत कर सेवाओं, अनुप्रयोगों तथा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए G2G (सरकार से सरकार), G2C (सरकार से नागरिक) एवं G2B (सरकार से व्यापार) सेवा प्रभावी इलैक्ट्रानिक ढंग से आपूर्ति की जा सके। इन सेवाओं को सामान्य आपूर्ति प्लेटफार्म के माध्यम से सुलभ कराया जा सकता है तथा राज्यव्यापी क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) एवं सामान्य सेवा केन्द्र (सी0एस0सी0) जैसे केन्द्रीय सम्पर्क अवसंरचना के सहयोग से ग्राम स्तर तक सम्पर्क को बढ़ाया जा सकता है।

क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान)

क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तगर्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में स्वीकृत किया गया था, जिसका क्रियान्वयन एन0आई0सी0 के माध्यम से पूर्ण कर जून 2015 से राज्य सरकार को हस्तान्तरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा आई0टी0डी0ए0 के माध्यम से राज्यभर में स्वान का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस नेटवर्क में ब्लॉक/ तहसील स्तर तक 133 प्वाइंट ऑफ प्रिजेन्स स्थापित किये गये हैं, जहां पर फैसिलिटी मैनेजमेंट हेतु कुल 217 नेटवर्क इंजीनियर तैनात कर स्वान का संचालन किया जा रहा है। स्वान नेटवर्क में

राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालयों तक 10 एमबीपीएस बैंडविड्थ कनेक्टिविटी प्रदान की गयी तथा इसे नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन0के0एन0) से इंटीग्रेट करने के उपरान्त राज्य मुख्यालय तक 1 जी.बी.पी.एस. तक बैंडविड्थ प्राप्त हो पा रही है। जनपद मुख्यालयों से ब्लोक/ तहसील मुख्यालयों तक 60 साईट्स पर 10 एम.बी.पी.एस. एवं 53 साईट्स पर 35 एम.बी.पी.एस. बैंडविड्थ प्रदान की जा रही है।

स्वान नेटवर्क द्वारा (Voice, data & Video) इंटरनेट एवं विडियो कांफ्रेसिंग की सुविधायें ब्लॉक/ तहसील स्तर तक उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

राज्य के विभिन्न विभागों के अन्तर्गत क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न विभागों के लगभग 1600 से अधिक स्थलों पर हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है, जिसमें मुख्य लोक निर्माण विभाग, कोषागार, राजस्व, वाणिज्य कर, परिवहन, भू–अभिलेख, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, रोजगार एवं सेवायोजन, जिला प्राविधिक शिक्षा आदि हैं। स्वान के अन्तर्गत राज्य के समस्त विभागों को कनेक्टिविटी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। सचिवालय में ई–ऑफिस के क्रियान्वयन हेतु सचिवालय परिसर में लोक एरिया नेटवर्क (लेन) का अपग्रेडेशन का कार्य भी पूर्ण कर स्वान नेटवर्क से जोड़ा गया है।

स्वान नेटवर्क इन्ड ऑफ लाईफ/ इन्ड ऑफ सपोर्ट हो जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वान में स्थापित उपकरणों को आधुनिक तकनीकी से अपग्रेड किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके सापेक्ष प्रथम चरण का अपग्रेडेशन कार्य राज्य मुख्यालय तथा पांच जनपदों देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चम्पावत में पूर्ण कर लिया गया है। शेष आठ जनपदों में अपग्रेडेशन कार्य गतिमान है।

स्टेट डाटा सेंटर

राज्य डाटा सेंटर में प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, राज्य की केन्द्रीय निधि, सुरक्षित डाटा भण्डार, सेवाओं की आन लाइन आपूर्ति, नागरिक सूचना सेवा पोर्टल, राज्य इन्टरनेट पोर्टल, सुदूर प्रबंधन एवं सेवा

समेकन आदि के रूप में होंगी। राज्य डाटा सेंटरं द्वारा बेहतर प्रचालन एवं प्रबंधन नियंत्रण प्रदान किया जाएगा तथा साथ ही डाटा प्रबंधन की समग्र लागत, सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन प्रबंधन, विनियोजन एवं अन्य लागत में कमी आएगी।

राज्य डाटा सेंटर की स्थापना 'उत्तराखण्ड राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन' आई0टी0 पार्क सहस्त्रधारा रोड़ में डाटा सेंटर की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी थी। यह डाटा सेंटर सॉफ्टवेयर आधारित अत्याधुनिक तकनीकी – HCI-Hyper Convergent Infrastructure युक्त है। उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित यह डाटा सेंटर देश में राजकीय संस्थाओं के अन्तर्गत इस अत्याधुनिक तकनीकी का प्रथम डाटा सेंटर है। द्वितीय चरण में डाटा सेंटर को स्केल–अप कर 425 टी.बी. अतिरिक्त स्पेस का प्रावधान डाटा सेंटर में किया गया।

डाटा सेंटर पर राजकीय विभागों के सर्वर स्थापित किये जा रहे हैं, तथा राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवायें राज्य के समस्त नागरिकों को इलेक्ट्रानिक रूप में इस डाटा सेंटर के सर्वरों द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के 73 एप्लीकेशन्स लाईव हो गये हैं। डाटा सेंटर के डिजास्टर रिकवरी क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। वर्तमान में स्टेट डाटा सेंटर पर ई–डिस्ट्रिक्ट, ई–गेटपास सिस्टम, सी.एम. डैश बोर्ड, ई–ओफिस, सी.एस. आर. पोर्टल आदि होस्ट कर संचालित किये जा रहे हैं। भविष्य में राज्य के समस्त विभागों के एप्लीकेशन्स एवं सर्वर डाटा सेंटर में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से डाटा सेंटर का विस्तारीकरण, नियर बैकअप तथा डिजास्टर रिकवरी हेतु कार्यवाही आरम्भ की जा रही है।

सामान्य सेवा केन्द्र 'देवभूमि जन सेवा केन्द्र'

भारत सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का स्वीकृत की गयी थी। इसके अन्तर्गत समेकित रूप से ग्रामीण जनता को सरकार, निजी एवं सामाजिक क्षेत्र की प्रमुख सेवाओं के लिए शुरू से अंत तक डिलीवरी सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम

से प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित करना है, जो सूचना आधारित तथा गैर–सूचना आधारित सेवाओं के संयोजन से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के लाभ के लिए अपने सामाजिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए सरकार, निजी तथा सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को समर्थ बना सके।

इस परियोजना को लोक–निजी भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है सामान्य सेवा केन्द्र नागरिकों तक सरकारी और निजी सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए प्राथमिक भौतिक एवं प्रमुख स्रोत है। इस योजना से ग्रामीण अंचल के जनमानस को तो लाभ प्राप्त होता ही है साथ ही साथ ग्रामीण युवकों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं, तथा उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने का विकल्प भी उपलब्ध है।

सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से वर्तमान में निम्नलिखित विभिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान की जा रही हैं–

1. राज्य सरकार की G2C सेवायें
2. केन्द्र सरकार की G2C सेवायें
3. B2C सेवायें
4. बैंकिंग सेवायें
5. शिक्षण सम्बन्धित सेवयें
6. चिकित्सा सेवायें
7. बीमा सेवायें
8. स्किल डेवलपमेंट
9. रोजगार आवेदन हेतु सेवायें।
10. प्रशिक्षण कोर्स
11. ट्रैवल बुकिंग सेवायें
12. प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड तैयार करना
13. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु पंजीकरण सुविधा।
14. प्रधानमंत्री किशान मानधन हेतु पंजीकरण सुविधा।
15. प्रधानमंत्री किशान निधि हेतु पंजीकरण।

16. स्वरोजगार एवं छोटे व्यापारियों हेतु राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अन्तर्गत पंजीकरण सुविधा।

17. आर्थिक गणना।

पूर्व में औसतन 6 गांवो के मध्य एक सेंटर स्थापित करने के आधार पर 2804 सी0एस0सी0 की स्थापना किये जाने का लक्ष्य था, जिसको पुनः CSC 2.0 के तहत अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सामान्य सेवा केन्द्र के अनुसार कुल 7950 केन्द्र स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2020 तक 12317 कॉमन सर्विस सेंटर पंजीकृत हैं, जिनमें से 8858 कॉमन सर्विस सेंटर क्रियाशील हैं।

जनपदवार विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	जनपद	पंजीकृत CSC	कार्यशील CSC
1.	अल्मोड़ा	805	645
2.	बागेश्वर	385	270
3.	चमोली	481	378
4.	चम्पावत	361	289
5.	देहरादून	1764	1264
6.	हरिद्वार	2140	1378
7.	नैनीताल	1373	1023
8.	पौड़ी गढ़वाल	861	657
9.	पिथौरागढ़	460	333
10.	रुद्रप्रयाग	323	243
11.	टेहरी गढ़वाल	517	420
12.	उधमसिंहनगर	2330	1574
13.	उत्तरकाशी	517	384
	कुल	**12317**	**8858**

उपरोक्त के सापेक्ष 7357 केन्द्र ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु अधिकृत किये गये हैं, जिनके माध्यम से अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक 1125243 transaction किये गये जिनका मूल्य रुपये 3,37,57,290.00 है।

ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी – भारत नेट फेज–2

दूरसंचार विभाग की डिजिटल कम्यूनिकेशन कमेटी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये भारत नेट फेज–02 परियोजना पर स्टेट–लेड मॉडल के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

भारत नेट फेज–1 का क्रियान्वयन राज्य में बी0बी0एन0एल0 के माध्यम से क्रियान्वित की गयी थी, जिसके अन्तर्गत 30 ब्लोक –1863 ग्राम पंचायतों में ओप्टिकल फाईबर कनेक्टिविटी प्रदान की गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त नेशनल इन्फोरमेंशन इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन0एन0आई0) पायलट परियोजना का क्रियान्वयन देश के आठ जनपदों में से उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार में किया गया। इसके अन्तर्गत हरिद्वार जनपद के 220 ग्राम पंचायतों में कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।

भारत नेट फेज–2 हेतु भारत सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर राज्य के 65 ब्लोक –5775 ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी, जिससे उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की समस्या दूर करने में सहायता मिलेगी।

अध्याय 4

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिक केन्द्रित सेवायें एवं सुशासन

ई–डिस्ट्रिक्ट

नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन किया गया, जिसके अन्तर्गत कुल 32 नागरिक केन्द्रित सेवाओं को कम्प्यूटरीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है।

ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन समस्त जनपदों में किया जा रहा है। जिला पौड़ी को वर्ष 2010 में ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना हेतु पायलट जनपद के रूप में चयनित किया गया था, तथा उसके उपरान्त वर्ष 2014 से राज्य के अवशेष 12 जनपदों में परियोजना का रोलआउट किया जा रहा है। परियोजना के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु सभी जनपदों में डिस्ट्रिक्ट ई–गवर्नेन्स सोसाईटी का गठन किया गया है।

वर्तमान में समस्त जनपदों में 32 सेवायें संचालित हैं। यह सेवायें तहसीलों/विकासखण्डों में स्थापित 133 ई–डिस्ट्रिक्ट केन्द्रों तथा लगभग 7357 कॉमन सर्विस केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

Revenue Department (9 Services)	
1	Domicile Certificate
2	Character Certificate (Contaractor)
3	Character Certificate (General)
4	Solvency Certificate
5	Freedom Fighter Certificate
6	Hill Area Certificate
7	Uttarjivi Certificate
8	Cast Certificate
9	Income Certificate

Employment Department (3 Services)		
	10	Employment Registration
	11	COT in Employment Registration
	12	Renewal in Employment Registration
Panchayati Raj Department (10 Services)		
(a)	**Services of Panchyati Raj**	
	13	Add new Family
	14	Copy of Pariwar Register
	15	Seperation of family
	16	Editing of family
(b)	**Birth certificate(Rural)**	
	17	Birth Registration /Certificate (Rural) Within one month
	18	Birth Registration /Certificate (Rural) After one month & Within one year
	19	Birth Registration /Certificate (Rural) After one years
(c)	**Death certificate(Rular)**	
	20	Death Registration /Certificate (Rural) Within one month
	21	Death Registration /Certificate (Rural) After one years
	22	Death Registration /Certificate (Rural) After one month & Within one year
Urban Development (4 Services)		
(a)	**Birth certificate (Urban)**	
	23	Birth Registration /Certificate (Urban) After one years
	24	Birth Registration /Certificate (Urban) within one years
(b)	**Death certificate (Urban)**	
	25	Death Registration /Certificate (Urban) within one years
	26	Death Registration /Certificate (Urban) After one years
Social Welfare Department (6 Services)		
(a)	**27**	Old Age Pension (Urban)
	28	Widow Pension (Urban)
	29	Disability pension. (Urban)
(b)	**30**	Old Age Pension (Rural)
	31	Widow Pension (Rural)
	32	Disability pension. (Rural)

ई–डिस्ट्रिक्ट /सी0एस0सी0 केन्द्रों के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं हेतु नागरिकों के 80.91 लाख आवेदन माह दिसम्बर 2020 तक निस्तारित किये गये हैं।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अन्तर्गत अधिसूचित 27 विभागों की 242 सेवाओं को, जनमानस को लाभान्वित किये जाने हेतु ई–डिस्ट्रिक्ट 2.0 'अपणी सरकार' बैनर के अन्तर्गत सभी सेवाओं को एम–गवर्नेंस मॉडल के तहत विकसित किये जाने का लक्ष्य है, साथ ही इन सभी सेवाओं को Unified Mobile Application for New-age Governance (UMANG), Meity (Ministry of Electronics and Information Technology) उमंग एप्लीकेशन एवं डिजिटल लॉकर के साथ एकीकरण किया जायेगा। उक्त सेवाओं पर कार्यवाही गतिमान है।

ई–डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत प्रस्तावित सेवाओं का विभागवार विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0 सं0	विभाग का नाम	कुल अधिसूचित सेवायें
1	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	02
2	राजस्व	20
3	चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	15
4	आवास विकास	11
5	परिवहन	04
6	पेयजल	09
7	समाज कल्याण	09
8	शहरी विकास	16
9	विद्यालयी शिक्षा	03
10	गृह विभाग	37
11	निबन्धन विभाग (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग)	12

12	मनोरंजन कर	12
13	औद्योगिक विकास	04
14	वाणिज्य कर	08
15	पशुपालन	05
16	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	01
17	श्रम विभाग	14
18	ऊर्जा विभाग	10
19	मत्स्य विभाग	08
20	लोक निर्माण	13
21	महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग	09
22	पर्यटन	03
23	अल्पसंख्यक कल्याण	03
24	लघु सिंचाई	04
25	ग्राम्य विकास	02
26	कृषि	05
27	सैनिक कल्याण	03

डिजीलॉकर

डिजिटल लॉकर प्लेटफार्म डिजिटल इण्डिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार की एक पहल है। डिजिटललॉकर डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के लिये एक मंच प्रदान करता है, इस प्रकार पेपरलेस शासन को सक्षम बनाता है। डिजिटल लॉकर प्लेटफॉर्म जारीकर्ताओं, अनुरोधकर्ताओं, सत्यापनकर्ताओं और नागरिकों को एक मंच पर लाता है और जारी किये दस्तावेजों की सटीकता और प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है।

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष में दिसम्बर 2020 तक 34897 व्यक्तिगत डिजीलॉकर पंजीकृत किये गये, तथा ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं से सम्बन्धित लगभग 15.56 लाख प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं शिक्षण संस्थानों के अन्तर्गत 2.72 लाख प्रमाण पत्र डिजीलॉकर के माध्यम से जारी किये गये।

तहसील – ब्लोक स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना

राज्य के समस्त जनपदों में तहसील एवं ब्लॉक स्तर तक वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना स्वान नेटवर्क के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से राज्य में केन्द्रीकृत रूप से स्वान नेटवर्क के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना का निर्णय लिया गया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना केन्द्रीयकृत रूप से करने पर राजकीय धन की बचत होगी, क्योंकि पूर्व में विभिन्न स्तरों पर विभागों द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग हेतु एम.सी.यू. क्रय किये गये थे। यदि सभी विभागों को स्वान नेटवर्क के माध्यम से वीडियो कान्फ्रेंसिंग पर लाया जाता है, तो विभागों को व्यक्तिगत स्तर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग उपकरणों पर अनावश्यक व्यय की आवश्यकता नहीं होगी।

इसमें प्रथम चरण के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय में स्थापित प्रमुख कार्यालय यथा राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सचिवालय में सचिव स्तर तक स्वान केन्द्र, जनपद मुख्यालय, हरिद्वार जनपद में बहादराबाद में ग्राम पंचायत स्तर तक कुल 258 स्थलों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना की गयी है। इस परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय में समस्त सचिव कार्यालय स्तर तक, जनपद मुख्यालयों–जिलाधिकारी कार्यालय /कैम्प कार्यालय, ब्लोक एवं तहसील तक समस्त 133 स्वान केन्द्रों, पुलिस विभाग के क्षेत्रीय 21 कार्यालयों–पुलिस मुख्यालय, इंटेलीजेंसी मुख्यालय तथा समस्त एस.एस.पी. कार्यालय, परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा हरिद्वार जनपद के 45 ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है। द्वितीय चरण में अपर सचिव स्तर के कार्यालय तथा निदेशालय स्तर के कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड 'उत्कर्ष'

राज्य के समस्त विभागों के अन्तर्गत क्रिर्यान्वित की जा रही परियोजनाओं एवं गतिविधियों के मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सीधे अनुश्रवण की सुविधा हेतु डैशबोर्ड 'उत्कार्ष' विकसित किया जा चुका है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में क्रियान्वित मुख्य परियोजनाओं एवं कार्यों का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि परियोजना कार्य सही दिशा में गतिमान हैं। इसके अन्तर्गत विभागों एवं परियोजनाओं से सम्बन्धित उच्च गुणवत्व युक्त डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।

सी0एम0 डेशबोर्ड के अन्तर्गत 33 विभागों के 270 के0पी0आई0 (Key performance indicator) 134 प्राथमिकता कार्यक्रम (Priority Program) एवं 59 राज्य प्राथमिकता कार्यक्रम (State Priority Program) की समीक्षा सी0एम0 डैशबोर्ड के पर मुख्य सचिव/सचिव एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा समयबद्ध तरीके से हो की जाती है। विभागों द्वारा योजनाओं की प्रगति प्रत्येक 10 तारीख तक प्रविष्ठित की जाती है।

सी0एम0 हैल्प लाईन '1905'

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता से सीधा संवाद स्थापित करने तथा जन शिकायतों/समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु 23 फरवरी 2019 को सी0एम0 हैल्पलाइन–1905 का शुभारम्भ किया गया। वर्तमान में सी.एम. हैल्प लाईन का कियान्वयन सूचना प्रौद्योगिकी भवन से किया जा रहा है। सी.एम. हैल्प लाईन के अन्तर्गत दर्ज शिकायतों को सम्बन्धित विभागों को ओनलाईन प्रकिया से प्रेषित किया जाता है, जिसे विभागों में गठित चार स्तरीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत निस्तारित कर शिकायतकर्ता को सूचित किया जाना होता है, साथ ही निस्तारण उपरान्त पुनः सम्बन्धित शिकायतकर्ता से सन्तुष्टि हेतु फीडबैक लिया जाता है। वर्तमान तक इसके अन्तर्गत लगभग 1.07 लाख शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, जिसमें से 58 हजार शिकायतों का सन्तुष्टिपूर्वक निराकरण किया हो चुका है।

ई–कैबिनेट

राज्य के समस्त विभागों से सम्बन्धित पत्रावलियों को मंत्रीमण्डल के सम्मुख 'पटल' पर स्वीकृति हेतु डिजिटल माध्यम से उच्च सुरक्षित परिवेश में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को डिजिटाईज्ड बनाने की कार्यवाही की जा रही है। 'ई–कैबिनेट' एप्लीकेशन के 24 घण्टे की उपलब्ध एवं उच्च बैंडविड्थ हेतु स्टेट डाटा सेंटर में होस्ट किया जा रहा है। इस हेतु सचिवालय में सभी विभागों के 240 अनुभाग अधिकारियों, 124 निजी सचिव, 59 अनुसचिव एवं उप सचिव तथा 25 संयुक्त एवं अपर सचिव स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को आई.टी.डी.ए. में संचालित प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

सी0एम0 डैशबोर्ड 'उत्कर्ष'

मुख्यमंत्री डैश बोर्ड 'उत्कर्ष' स्टेट डाटा सेंटर से संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान में 32 विभागों के 205 के0पी0आई0 (Key Performance Indicator) 48 प्राथमिकता कार्यक्रम (Priority Program) एवं 86 राज्य प्राथमिकता कार्यक्रम (State Priority Program) की समीक्षा सी0एम0 डैशबोर्ड पर मुख्य सचिव/सचिव एवं विभागीय अधिकारियों के द्वारा समयबद्ध तरीके से की जाती है।

भविष्य में नागरिक सहभागिता हेतु उक्त डैशबोर्ड में प्रावधान किया जायेगा एवं जनपद स्तर की मोनिटरिंग हेतु भी डैशबोर्ड में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

ई–गेटपास

'उत्तराखण्ड ई–गेटपास' राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से नागरिकों को राजकीय कार्यालयों/परिसरों में अप्वाइंटमेंट हेतु साधारण डिजिटल प्रक्रिया विकसित की गयी है। इसके अन्तर्गत https://egatepass-uk.in पर आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। उत्तराखण्ड सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का क्रियान्वयन किया जा चुका है ।

ई–ऑफिस

सचिवालय की कार्यप्रणाली को डिजिटाईज्ड किये जाने हेतु एन.आई.सी. के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 'E-Office' का चयन किया गया है। ई–ऑफिस के सफल क्रियान्वयन हेतु आई.टी.डी.ए. द्वारा सचिवालय परिसर में लोकल एरिया नेटवर्क का अपग्रेडेशन किया गया तथा 300 कम्प्यूटर सिस्टम की अधिप्राप्ति की गयी है।

कोविड 19 की परिस्थितियों उपरान्त समस्त विभागों में ई–ओफिस के क्रियान्वयन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत हो रही है। सचिवालय में 55 विभाग एवं 140 अनुभागों में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन किया जा चुका है। 39 निदेशालय/ जिलाधिकारी कार्यालय/ सार्वजनिक उपक्रमों में क्रियान्वित किया गया है।

विवरण निम्नानुसार है–

1. सचिवालय (57 में से 55 विभाग, 152 में से 140 अनुभाग।
2. आई0टी0डी0ए0
3. जिलाधिकारी, देहरादून
4. शहरी विकास
5. वन विभाग– प्रमुख वन संरक्षक कार्यालय
6. सूचना आयोग
7. उत्तराखण्ड इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन
8. जिलाधिकारी उधमसिंह नगर
9. जिलाधिकारी बागेश्वर
10. लोक निर्माण विभाग
11. सेवा का अधिकार आयोग
12. उत्तराखण्ड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर
13. परदूषण नियंत्रण बोर्ड

14. स्मार्ट सिटी देहरादून

15. पर्यटन

ई–ओफिस के क्रियान्वयन हेतु सचिवालय के लगभग 1100 कर्मियों तथा अन्य विभागों के 909 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

उपरोक्त के अन्तर्गत ई–ओफिस के संचालन की प्रगति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	विवरण	eFiles Created	eReceipt Created	Active Users
1.	सचिवालय	4239	5994	793
2.	जिला प्रशासन	2763	13033	216
3	अन्य विभाग	2589	9639	301

आगामी वर्ष में राज्य के समस्त विभागों में ई–ओफिस का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है।

अध्याय 4

क्षमता विकास एवं अनुसंधान कार्य

मानव रहित विमान–UAV (Unmanned Aerial Vehicle)

इस क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा पूर्व में आई0आई0टी0 मुमंबई के साथ मिल कर एयरोस्टेट (बैलून) की परिकल्पना की प्रमाणिकता (Proof of Concept) पूर्ण की गयी, जिसका दो बार सफल परीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त 'बैलून' एवं ड्रोन के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेल का गठन किया गया है।

'ड्रोन' एप्लीकेशन एवं अनुसंधान केन्द्र (DARC)

सूचना प्रौद्योगिकी भवन में नेशनल टेक्निकल रिसर्च संस्थान (NTRO), भारत सरकार के सहयोग से 'ड्रोन' प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 2018 में की गयी थी। इस केन्द्र का उद्देश्य ड्रोन के लिए स्टेट ओफ आर्ट ड्रोन उपयोग एवं अनुसंधान स्थापित करना, ड्रोन संचालकों हेतु उच्च तकनीकी युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था, एवं वन सर्वे, पुलिस विभाग द्वारा आपदा राहत कार्यक्रमों में ड्रोन उपयोग की क्षमता विकसित करने हेतु तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराना है।

उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र के अन्तर्गत निम्नलिखित उत्पाद तैयार किये जा चुके हैं–

- **डार्क ड्रोन (DARC X 1)–** पूर्णतः स्वयत मल्टीरोटर ड्रोन निर्मित किया गया है, जो त्वरित प्रतिक्रिया एवं निगरानी हेतु तैयार किया गया है। यह बाधा अवरोधक तथा भू–भाग अनुगामी समर्थित एक 16 इंच विकर्ण वाला छोटा ड्रोन है, जिसकी रेंज 15 किमी तक है।
- **ड्रोन फ्लाइंग परमिशन एप–** डार्क के माध्यम से यह एप्लीकेशन तैयार की गयी है, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड में ओनलाईन प्रक्रिया से

स्थानीय पुलिस से ड्रोन उडान की सहमति प्राप्त की जाती है। यह सेवा पुलिस के CCTNS– पोर्टल से एकीकृत है। नागरिक उडान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारी सराहना की गयी। इससे अन्य राज्यों में भी इस पहल का उपयोग सम्भव हो पायेगा।

- **डार्क मैपर**– डार्क द्वारा जी0आई0एस0 एकएप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार किया गया है जो एरियल इमेज से मैप, प्वाइंट क्लाउड, 3डी मोड्यूल तैयार कर सकता है। यह अनुकूल यूजर इण्टरफेस है, जिमें मैप व्यूवर, 3डी व्यूवर, यूजर लोग–इन, प्लगइन सुविधा इत्यादि फीचर उपलब्ध हैं, जो एक अत्याधुनिक ड्रोन मैपिंग प्लेटफार्म से अपेक्षित हो सकती है।

- **डार्क एप फोर डीजेआई ड्रोन**– डीजेआई ड्रोन सामान्यतः उपयोग किये जाते हैं। यह एक प्रकार की चाईनीज तकनीकी कम्पनी है, जिसमें फ्लाईट डाटा उनके सर्वर पर चली जाती है। डार्क द्वारा डीजेआई ड्रोन के संचालन हेतु यह एप्लीकेशन तैयार की गयी है जो बिना डीजेआई सिस्टम में लोगइन के संचालन को सम्भव करता है तथा इससे फ्लाईट डाटा उनके सर्वर में नहीं जा पाता।

उपरोक्त अनुसंधान केन्द्र के माध्यम से विभिन्न विभागों के सर्वे कार्य भी पूर्ण किये गये। जैसे – नगर विकास विभाग हेतु ड्रोन तकनीकी के उपयोग से झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण का सर्वे किया गया, तथा विकसित क्षेत्रों के डिजिटल फुटप्रिन्ट तैयार किये गये। इसके अतिरिक्त हरेला फेस्टिवल 2020 पर छः स्थलों में वृक्षारोपण की लाईव स्ट्रीमिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख ब्रोडकास्ट की गयी थी।

उक्त केन्द्र के माध्यम से ड्रोन संचालन हेतु रिमोट पायलट प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो 5 एवं 10 दिवस के कोर्स हैं। अभी तक 16 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 347 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, जिसमें डी.जी.सी.ए., एस.डी.आर.एफ., बी0एस0एफ0, सी0आई0एस0एफ0, कोलकता पुलिस, वन विभाग, उत्तराखण्ड पुलिस इत्यादि सम्मिलित हैं।

INDIA DRONE FESTIVAL 2.0 - Dronathon@Dronanagari 2020

वर्ष 2019 की भांति इस वर्ष भी फरवरी 2020 में ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो एक विशेष प्रकार के थीम – एण्टी ड्रोन तकनीकी पर आधारित था, जिसका उद्देश्य त्वरित नवोन्मेष, तीव्र विकास एवं वैश्विक पहुंच समर्थि समस्त ड्रोन तकनीकी को एक छत के नीचे लाना था। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में काउण्टर ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन, नोलेज सेयरिंग सेसन, ड्रोन प्रतियोगितायें की गयी। इसमें राजकीय विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों, अविष्कारक, एयरो मोडेलरस, विश्वविद्यालय के छात्र/ छात्रायें, ड्रोन उत्साही, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, फ्लाइंग शिक्षा एवं व्यवसाय से जुड़े लगभग 1200 प्रतिभागी 20 राज्यों से पंजीकृत हुये थे।

UAV Forensic Hackathon

DARC के स्थापना दिवस दिनांक 09 जुलाई 2020 पर ड्रोन फोरेन्सिक के क्षेत्र में नये विचारों/नवोन्मेष को पटल प्रदान किये जाने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गयी। इसके अन्तर्गत तीन समस्या कथन (Three problem statements) – फोरेन्सिक ओपन सोर्स टूल्स डिजाइन करना, वाई–फाई सिग्नल खोजना एवं उसकी सामर्थ्य एवं दिशा को पता करने हेतु उपकरा तैयार करना, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान से भवन के फुटप्रिन्ट निकालना।

वर्तमान में DARC के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम/ परियोजनायें प्रस्तावित हैं–

- मिशन प्लानर एप्लीकेशन
- राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण हेतु ड्रोन का कस्टोमाईजेशन
- माल/मानव वाहक ड्रोन विकसित करना, जो 5–10 कि.मी की रेंज में 20–25 मिनट तक 100 किलोग्राम के वजन को नियंत्रित कर सके।

- मोबाईल ग्राउण्ड नियंत्रण स्टेशन– यह ओटोमोबाईल वाहन में तैयार किया जाना है जो ओनबोर्ड फ्लाईट कंट्रोल सिस्टम से रियल टाईम संचार स्थापित कर सके।
- वन्यजीव प्रबन्धन, वनाग्नि प्रबन्धन एवं वन नियोजन प्रबन्धन हेतु ड्रोन तकनीकी को ग्रहण करने तथा इंटीग्रट करने हेतु वन विभाग को प्रस्ताव दिया गया है।
- जुमरानी डैम परियोजना को सम्बन्धित क्षेत्र के 15 ग्रामों के सर्वे प्रस्तावित है।
- नगर नियोजन विभाग हेतु मल्टी लेयर्ड बेस मैप तैयार किया जाना प्रस्तावित है।
- कुंभ मेला आयोजन की प्रगति पर निगरानी हेतु लाईव स्ट्रीमिंग प्रस्तावित है।
- भारत नेट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर तक ओप्टिकल फाईबर स्थापित किये जाने हेतु सर्वे का कार्य प्रस्तावित है।

DARC की भविष्य की योजनायें–

- रिसोर्स सेंटर की स्थापना
- इण्डीजीनियस ड्रोन विकसित करना
- आधुनिक ड्रोन कार्यशालय स्थापित करना
- प्रमाणित तकनीशियन परिस्थितिकी प्रवाह विकसित करने के साथ साथ अत्याधुनिक तकनीकी को अनुसंधान से उद्योग तक पहुंचाने के उद्देश्य से आई0आई0टी0 रुड़की के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा रहा है।
- ड्रोन –अवरोध समाधान
- ड्रोन डिज़ाइन एवं विकसित किये जाने हेतु उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना।
- ड्रोन परीक्षण एवं प्रमाणिकता केन्द्र की स्थापना।

आई0टी0डी0ए0 में स्थापित उक्त पी0एम0सी0 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों को ड्रोन की बेसिक जानकारी, ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण तथा

तकनीकी ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। वर्तमान मे राज्य के पॉलीटेक्निक छात्र–छात्राओं तथा विभागीय कर्मियों को ड्रोन सम्बन्धी क्रियाकलापों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

ग्रोथ सेन्टर योजना के अन्तर्गत 'आईटी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्रों की स्थापना'–

माननीय मुख्यमंत्री जी के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ग्रोथ सेन्टर योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है।

इस योजना के अधीन आई0टी0डी0ए0 द्वारा दो स्थलों यथा– कैल्क केन्द्र (Computer Academy & Learning Centre-CALC) आई0डी0पी0एल0, ऋषिकेश एवं कैल्क केन्द्र पिथौरागढ़ पर आई0टी0 स्किल डेवलपमेंट केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इसके अन्तर्गत आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कम्प्यूटर लैब /डिजिटल क्लास रूम तैयार की गयी है।

इन केन्द्रों का उद्देश्य मुख्यतः स्थानीय नवयुवकों/बेरोजगार युवकों को कम्प्यूटर के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना/स्वरोजगार स्थापित करने में सहायता करना है, जिससे कि प्रशिक्षित युवा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए सूक्ष्म उद्यम चला सकें एवं युवको के अन्य प्रदेशों में पलायन को कम किया जा सके।

इन केन्द्रों को स्थानीय युवकों/युवतियों हेतु सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण/English Languages /Foreign Languages में भी प्रशिक्षित कर दक्ष बनाने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इन केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षा /e-learning Programme/ सी0एस0सी0 से सम्बन्धित समस्त सेवाएं एवं प्रदेश में चल रही ई–सेवाएं संचालित की जानी प्रस्तावित है।

कोविड19 के कारण प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ नहीं हो पायें हैं, तथा ओनलाईन माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। ऋषिकेश सेंटर में अब तक लगभग 35 परीक्षार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है एवं ओनलाईन प्रशिक्षण की प्रक्रिया गतिमान है।

ई–वेस्ट प्रबन्धन

इलेक्ट्रोनिक कचरे के प्रबन्धन के क्षेत्र में आई0टी0डी0ए0 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से महत्वपूर्ण पहल राज्य में की गयी है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों, सचिवालय के निष्प्रयोज्य इलेक्ट्रनिक उपकरणों को पुनः उपयोग के लिए कम्प्यूटर सिस्टम तैयार कर विभिन्न राजकीय स्कूलों में उपलब्ध करायें गये। इसके अतिरिक्त जो उपकरण रिपेयरेबल नहीं थे उनसे सूचना प्रौद्योगिकी भवन परिसर में एक ई–वेस्ट स्टूडियो का निर्माण किया गया है, जिसमें समस्त फर्नीचर यथा छत, काउण्टर, बैंच, लाईट्स –फैन इत्यादि को ई–वेस्ट के माध्यम से तैयार किया गया है।

कैपेसिटी बिल्डिंग परियोजना

नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना के अन्तर्गत राज्य में वर्तमान में कैपेसिटी बिल्डिंग 2.0 का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नेशनल ई–गवर्नेन्स डिवीजन के माध्यम से 05 कन्सलटेंट उपलब्ध कराये गये हैं, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेन्स से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियां राज्य में संचालित की जाती है। इसके अतिरिक्त राजकीय विभागों हेतु विभिन्न ई–गवर्नेन्स, सूचना प्रौद्योगिकी एवं साईबर सिक्योरिटी इत्यादि से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालायें समय–समय पर आयोजित की जाती है।

वर्ष 2020–21 में विभिन्न विषयों पर संचालित कार्यशालायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है–

1. आधुनिक एक्सेल प्रशिक्षण
2. भारतीय साईन लैंग्वेज पर जागरूकता कार्यक्रम
3. एडवांस कोग्नोज एण्ड बी0आई0 टूल
4. ई–ओफिस
5. ई–वेस्टमैनेजमेंट
6. साईबर सिक्योरिटी एण्ड एथिकल हैकिंग
7. हाईपर कन्वर्जड इन्फ्रास्ट्रक्चर

8. नेटवर्किंग टेक्निक्स
9. साईबर फोरेन्सिक्स
10. सिक्योरिटी इन्फोरमेशन एण्ड ईवेंट मैनेजमेंट
11. नेटवर्क फोरेन्सिक्स
12. इन्ड प्वाइंट डिटेक्शन एण्ड रिस्पान्स
13. नेटवर्क फंक्शन वरचुलाईजेशन
14. गवर्नमेंट प्रोसेस रिइंजीनियरिंग
15. सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड वाईड एरिया नेटवर्क

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

कॉमन सर्विस सेंटर संचालक (ग्रामीण उद्यमियों) के माध्यम से प्रथम चरण में 'नेशनल डिजिटल साक्षरता मिशन' के तहत राज्य में 1.98 लाख ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान की गयी थी। द्वितीय चरण में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' के अन्तर्गत सी0एस0सी0 के माध्यम से 5.06 ग्रामीण व्यक्तियों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है। डिजिटल साक्षरता अभियान के अन्तर्गत अभी तक 3.36 लाख ग्रामीणों का पंजीकरण किया गया जिसके सापेक्ष 2.65 लाख को प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं 2.02 लाख को प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके हैं।

अध्याय 7

वित्तीय वर्ष 2020–21 : वित्तीय प्रगति एवं वर्ष 2021–22 हेतु बजट प्राविधान

(धनराशि हजार रुपये में)

लेखा शीर्षक / मानक मद	वित्तीय स्थिति 2020–21		आय–व्यय अनुमान 2021–22
	प्राविधान	स्वीकृत / अवमुक्त	
राजस्व			
3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, **60**–अन्य, **600**– अन्य सेवायें			
02–राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण/ITDA को अनुदान			
05–वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान	**22000**	**22000**	**19000**
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान			**45580**
56 सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	**50000**	**50000**	**100000**
3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, **60**–अन्य, **600**– अन्य सेवायें	**-**		
03– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	**-**		
26– कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	**1**	-	-
27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान			**99500**
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	**120000**	**120000**	**120000**
04– राज्य की आई0टी0 पॉलिसी के प्रतिपूर्ति/अनुदान			
42– अन्य विभागीय व्यय	**5000**	-	**5000**
05– विभिन्न विभागों में होरिजोन्टल कनेक्टिविटी हेतु आई0टी0डी0ए0 को अनुदान			
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	**7000**	-	-
योग 3425– राजस्व	**204001**	**192000**	**389080**
पूंजीगत			
4859– दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय **02–**इलेक्ट्रानिक्स **800–अन्य व्यय**			
01 केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
0108– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन			
42–अन्य विभागीय व्यय	**1**	-	-
0109–नेशनल ईगवर्नेन्स योजना			
56–सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	**20000**	-	**20000**
03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण			
54–भूमि क्रय	-	-	**24000**
55–पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान	-		**60000**
12 राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों/ सार्वजनिक स्थानों में वाई–फाई जोन स्थापित किया जाना			
42–अन्य विभागीय व्यय	**10000**	-	**5000**
13 तहसील और ब्लॉक स्तर पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा			
42–अन्य विभागीय व्यय	-	-	**36000**

15– क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन			
42–अन्य विभागीय व्यय	**40000**	**-**	**50000**
16– स्टेट डाटा सेंटर का संचालन			
42–अन्य विभागीय व्यय	**-**	**-**	**108000**
योग 4859– पूंजीगत	**70001**	**-**	**303000**
कुल योग	**274002**	**192000**	**692080**

आउटकम/परफॉरमेन्स बजट 2021–22

विभाग– सूचना प्रौद्योगिकी

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले/बजट		01.04.2020 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31.03.2021 की सम्भावित स्थिति (भौतिक स्थिति)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2021–22	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम) वर्ष 2021–22	समय सीमा
			राजस्व	पूंजीगत					
1.	क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	योजना में स्वतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवायें उपलब्ध कराये जाना।	2195.00	500.00	• बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील/ब्लॉक– 10Mbps/35 MBPS - all 119 sites	• बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील/ब्लॉक– 10Mbps/35 MBPS - all sites	• बैंडविड्थ अपग्रेडेशन / वैकल्पिक बैंडविड्थ का प्रावधान	स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों/कार्यालयों/इकाईयों के ई–शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि।	एक वर्ष
					• तकनीकी मानव संसाधन तैनात– 217	• तकनीकी मानव संसाधन– 217	• तकनीकी मानव संसाधन तैनात– 217		
					• प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स केन्द्र संचालन– 133	• प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स केन्द्र संचालन– 133	• प्वाइंट ऑफ प्रिर्जेन्स केन्द्र संचालन– 133		
					• हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित–1620	• हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित–1700	• समस्त कार्यालयों में हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी स्थापित		
					• नेटवर्क का अपग्रेडेशन –राज्य मुख्यालय एवं 5 जनपदों में पूर्ण	• नेटवर्क का अपग्रेडेशन –समस्त जनपदों के स्वान केन्द्रों में	• नेटवर्क का अपग्रेडेशन –समस्त जनपदों के स्वान केन्द्रों में		
2.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आई0टी0 का सुदृढ़ीकरण।	1645.80	840.00	• आई.टी.डी.ए. का संचालन	• आई.टी.डी.ए. भवन का संचालन	• आई.टी.डी.ए. का संचालन	राज्य में समस्त सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई–गवर्नेन्स परियोजना का संचालन कर	एक वर्ष
					• सूचना प्रौद्योगिकी भवन का अनुरक्षण एवं संचालन	• आई0टी0 पार्क में आवंटित अतिरिक्त भूमि पर विभिन्न संचालन केन्द्रों हेतु भवन का निर्माण	• भवन में साईबर सिक्योरिटी, ड्रोन इनोवेशन केन्द्र, इन्कुबेशन फैसिलिटी, भातर नेट– फेज–2 कार्यालय इत्यादि की		

							स्थापना	ई–गवर्नेन्स / गुड गवर्नेन्स तथा नागरिकों को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से सेवायें प्रदान करना।	
					• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन	• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन	• मुख्यमंत्री हैल्प लाईन 1905 का संचालन		
						• सचिवालय ई–गेटपास का क्रियान्वयन • जिला प्रशासन कार्यालय / निदेशालय एवं सार्वजनिक उपक्रमों में ई–ओफिस का क्रियान्वयन	• ई–ओफिस का क्रियान्वयन समस्त कार्यालय / विभाग		
					• सचिवालय में ई–गेटपास सिस्टम का कियान्वयन	• ई–गेटपास सिस्टम का संचालन	• ई–गेटपास का क्रियान्वयन		
					• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम	• ड्रोन रिसर्च सेंटर का संचालन एवं ड्रोन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम		
					• स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना	• स्टेट डाटा सेंटर का संचालन अभी तक कुल एप्लीकेशन्स होस्टेड– 73	• समस्त विभागों को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित।		
3	राज्य की आई0टी0 पॉलिसी के प्रतिपूर्ति / अनुदान	आई.टी. पोलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योंगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए रियायत / अनुदान।	50.00		-	आई.टी. पोलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योंगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए अनुदान	आई.टी. पोलिसी 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योंगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित किये जाने के लिए अनुदान	सू0प्रौ0 तथा इलेक्ट्रोनिक्स उद्योंगों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित कर राज्य में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जायेगा।	एक वर्ष

4.	नेशनल ई–गवर्नेन्स योजना	एन.ई.जी.पी. के अन्तर्गत कॉमन सर्विस सेन्टरों की स्थापना, ई–डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन एवं राज्य में क्षमता विकास क्रियान्वयन		200.00	• ई– डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन तथा 32 सेवायें प्रदान • क्षमता विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशालायें आयोजित।	• ई– डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन समस्त जनपदों में तथा 32 सेवाओं का संचालन	• ई– डिस्ट्रिक्ट 2.0 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में तथा सेवा के अधिकार अधिनियम में चिन्हित 217 सेवाओं को इलेक्ट्रोनिक माध्यम से उपलब्ध कराना। • क्षमता विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित।	ई–डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से नागरिकों को विभागीय सेवायें इलेक्ट्रोनिक रूप में उपलब्ध कराकर ई–शासन प्रणाली में तीव्रता।	एक वर्ष
5	राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में वाई–फाई	राज्य प्रमुख कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों, ट्रेक रूट को वाई–फाई से आच्छादित किया जाना।		50.00	-	• राजभवन, सचिवालय एवं विभान सभा में वाई–फाई की स्थापना हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर ली गयी है।	• राजभवन, सचिवालय तथा विधान सभा में वाई–फाई सुविधा स्थापित कर अन्य कार्यालयों में स्थापना किया जाना	शासकीय कार्यों सुगमता तथा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में विस्तार।	एक वर्ष
6	तहसील और ब्लॉक स्तर पर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की सुविधा	राज्य के क्षेत्रीय स्तर तक के कार्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा	-	360.00	• शीर्ष कार्यालयों सहित सचिवालय में अपर सचिव स्तर तक के कार्यालय, समस्त जिलाधिकारी कार्यालय, स्वान केन्द्र, परिवहन विभाग एवं पुलिस विभाग के अन्तर्गत कुल 258 वीडियो कोन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित– 258 स्थल	• स्थापित 258 स्थलों में संचालन	• विभागाध्यक्ष एवं निदेशालय स्तर के कार्यालयों में स्थापना	शासकीय कार्यों की समीक्षा कर कार्यों में गति	एक वर्ष

7	स्टेट डाटा सेंटर का संचालन	राज्य के समस्त विभागों की एप्लीकेशन्स एवं सर्वर डाटा सेंटर में स्थापित कर संचालित	-	1080.00	• स्टेट डाटा सेंटर स्थापित एवं अपग्रेडेड	• स्टेट डाटा सेंटर का संचालन	• डाटा सेंटर हेतु नियर बैकअप • मेमोरी एवं स्टोरेज अपग्रेडेशन– • डाटाबेस लाईसेंस एवं सिक्योरिटी का प्रावधान	नियर बैकअप एवं अपग्रेडेशन से अधिकत विभागों को डाटा सेंटर में सम्मिलित कर कार्यों में गति तथा विभागों द्वारा आउसटसोर्स सम्बन्धित सेवाओं से सम्बन्धित राजकीय धन की बचत	एक वर्ष